



प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड
चिन्थालीसौड़ उत्तरकाशी

Tele Phone No:-01371-237093
Fax No:-01371-237093
Email ID:-
cepmgsyidchinyalisaur@rediffmail.com

पत्रांक:- 42/ पी०एम०जी०एस०वाई०/सि०ख०/चि०सौड़
सेवामें,

दिनांक दिसम्बर, 2019
14-Jan-2020

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
कोटबंगला उत्तरकाशी

विषय:- जनपद उत्तरकाशी में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत बादसी गौलोकधाम खाण्ड मोटर मार्ग से कटखण मोटर मार्ग के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।


सन्दर्भ:- 1214/FP/UK/ROAD/32670/2018: Dehradun Dated on 07/11/2019.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में विषयगत प्रकरण पर लगाई गई ऑनलाईन आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

| क्र० सं० | आपत्ति | निराकरण |
|----------|---|---|
| 1. | ऑथोरिटी लेटर में क्षेत्रफल में कटिंग की गई है। अतः बिना कटिंग का प्रमाण-पत्र संलग्न करें एवं निर्गत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र में अधिकारी का नाम भी अंकित करें। | ऑथोरिटी लेटर में क्षेत्रफल में कटिंग को सही कर दिया गया है एवं निर्गत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र में अधिकारी श्री राजकुमार, अधिशाली अभियन्ता का नाम अंकित है। |
| 2. | एफ०आर०ए० प्रमाण-पत्र पर क्षेत्रफल में कटिंग की गयी है। बिना कटिंग का प्रमाण-पत्र संलग्न करें। | एफ०आर०ए० प्रमाण-पत्र पर क्षेत्रफल में कटिंग को प्रारूपकार, कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा प्रतिहस्ताक्षर कर दिया गया है। |
| 3. | आम सभा प्रमाण-पत्र में भी कटिंग की गयी है। बिना कटिंग का प्रमाण-पत्र संलग्न करें। | ग्राम/आमसभा प्रमाण-पत्र में कटिंग को सही कर दिया गया है। |
| 4. | प्रस्ताव में संलग्न सभी प्रपत्रों में परियोजना का नाम अंकित किया जाये एवं ग्राम पंचायत प्रमाण-पत्रों में ग्राम पंचायत का नाम एवं ग्राम का नाम अंकित किया जाये। | संलग्न प्रपत्रों में परियोजना का नाम एवं ग्राम पंचायत प्रमाण पत्रों में ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम अंकित कर दिया गया है। |
| 5. | डिजिटल मानचित्र में परियोजना का पूर्ण नाम अंकित करें। | डिजिटल मानचित्र में परियोजना का पूर्ण नाम अंकित किया गया है। |
| 6. | जिस मुख्य मार्ग से प्रस्तावित मार्ग निर्मित किया जाना है उस मोटर मार्ग के भारत सरकार की स्वीकृति प्रस्ताव में संलग्न करें एवं तदनुसार मानचित्र/बारचाट में भी उसका उल्लेख करें तथा प्रस्तावित मार्ग जिस मुख्य मार्ग से जुड़ा है मानचित्र एवं बारचाट में सूचना पूर्ण रूप से भरी जाये। | मुख्य मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है। मानचित्र में Existing Road को Purple Coloeer से दर्शाया गया है तथा बारचाट में भी इसका उल्लेख कर दिया गया है। |

| | | |
|-----|---|--|
| 7. | डिजिटल एवं जियो-रिफरेंसड मानचित्र में वैकल्पिक समरेखण भी दर्शाया जाये। | डिजिटल मानचित्र में वैकल्पिक समरेखण दर्शाया गया है। |
| 8. | प्रस्तावित मार्ग की पठनीय वित्तीय स्वीकृति संलग्न करें एवं उसको हाइलाइट किया जाये। | प्रस्तावित मार्ग की पठनीय वित्तीय स्वीकृति संलग्न कर दी गयी है एवं प्रस्तावित मार्ग को हाइलाइट कर दिया गया है। |
| 9. | उक्त प्रमाण-पत्र में प्रस्तावित मार्ग हेतु सिविल एवं नाप भूमि का उल्लेख है, जबकि प्रस्ताव के अन्य प्रपत्रों में वन पंचायत का उल्लेख है। सही सूचना भरी जाये। | प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण में आरक्षित वन भूमि 0.770 है०, सिविल सोयम भूमि 0.120 है० तथा नाप भूमि 1.205 है० अंकित है। |
| 10. | भू-वैज्ञानिक की मूल प्रति प्रस्ताव में संलग्न करें। | भू-वैज्ञानिक की प्रति को प्रति हस्ताक्षर कर संलग्न कर दिया गया है। |
| 11. | उत्पादित होने वाले मलवे का पूर्ण विवरण संलग्न करें। | उत्पादित होने वाले मलवे का पूर्ण विवरण संलग्न कर दिया गया है। |
| 12. | वृक्षों के वैज्ञानिक नाम अंकित किया जाये। | वृक्षों के वैज्ञानिक नाम पेज न० 13 पर अंकित है। |
| 13. | एन०पी०वी० आंकलन प्रमाण-पत्र में घनत्व ऑनलाईन के अनुसार भरते हुये प्रमाण-पत्र में वनाधिकारी की मुहर अपेक्षित है। | एन०पी०वी० घनत्व की जांच प्रारूपकार, कार्यालय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी के द्वारा की गई है तथा प्रभागीय वनाधिकारी की मोहर लगवा दी गई है। |
| 14. | कार्य प्रारम्भ न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र संलग्न करें। | कार्य प्रारम्भ न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र पेज न० 33 पर संलग्न है। |
| 15. | लम्बाई-चौड़ाई प्रमाण-पत्र में कुल योग का कॉलम बनाकर सूचना भरी जाये। | लम्बाई-चौड़ाई प्रमाण-पत्र में कुल योग का कॉलम बनाकर सूचना भरी गयी है। |
| 16. | बांज वृक्ष प्रभावित होने के कारण वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण आख्या संलग्न करें। | बांज वृक्ष प्रभावित होने के कारण वन संरक्षक की रिपोर्ट पेज 37 पर संलग्न है। |


 अधिशासी अभियन्ता
 पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड
 चिन्मालीसौड़ उत्तरकाशी।